

सेवा में,

समी जिला शिक्षा अधिकारी  
हरियाणा राज्य

यादी क्रमांक : एस.सी.ई.आर.टी./परीक्षा/2021/050

दिनांक 30-03-2021

विषय- राष्ट्रीय साधन व योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा 2020 का अस्थाई परिणाम सौंपने बारे।

उपरोक्त परीक्षा 20-12-2020 को राज्य के विभिन्न केंद्रों पर सम्पन्न हुई थी। इस परीक्षा का प्रोविजनल परिणाम आपको e-mail द्वारा दिया जा रहा है। इसके साथ इसे हमारी Website : [www.scertharyana.in](http://www.scertharyana.in) पर भी Upload किया जा रहा है ताकि प्रोविजनल परिणाम की जांच करने में छात्रों तथा विद्यालयों का सहयोग मिल सके। जाँच तथा जानकारी निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रख कर की जाए। दिनांक 20-04-2021 तक पूर्ण रूप से भर कर एस.सी.ई.आर.टी. गुरुग्राम की परीक्षा शाखा की मेल आईडी [examwingscert4@gmail.com](mailto:examwingscert4@gmail.com) पर e-mail कर दें।

1. विद्यालय का udise Code (10 अंकों का) भरना है।

2. छात्र का नाम

3. कैटेगरी जैसे 1. General 2. BCA. 3. BCB. 4. SC 5. PH.

आरक्षित कैटेगरी को प्रमाणित करने लिए सक्षम अधिकारी द्वारा बनाया गया प्रमाण-पत्र अवश्य देखें।

4. मोबाईल नं० की जाँच, यदि नहीं है तो लिखना है।

5. छात्र का आधार नं० भरना है यदि नहीं है तो।

6. स्कूल का नाम (केवल सरकारी तथा Aided स्कूल)

नोट- इसमें जवाहर नवोदय विद्यालय व केन्द्रीय विद्यालय शामिल न करें।

7. सातवीं कक्षा सरकारी या सरकारी सहसहाय प्राप्त विद्यालयों से उत्तीर्ण की हो।

8. माता-पिता दोनों की कुल आय सभी स्रोतों से 15,000/- रु० से कम होनी चाहिए।

9. बैंक का नाम भरना है।

10. बैंक का IFSC code भरना है।

11. छात्र का बैंक खाता नं० भरना है।

12. छात्र NMMS की छात्रवृत्ति के साथ अन्य कोई छात्रवृत्ति नहीं ले सकता।

उपरोक्त सभी तरह की जाँच करने के बाद NMMS सूचि के अन्त में निम्नलिखित प्रमाण-पत्र अवश्य दें।

"प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सूचि अनुसार सभी परीक्षार्थी कक्षा-8 (सत्र 2020-21) में सरकारी / सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं व इन्होंने पिछले वर्ष सातवीं कक्षा इन्हीं विद्यालयों से उत्तीर्ण की है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर लिखित प्रविष्टियों विद्यालय के रिकार्ड के अनुसार ठीक है तथा इनके माता-पिता की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय एक लाख पचास हजार रुपये तक है तथा यह अन्य कोई छात्रवृत्ति नहीं ले रहे हैं।"

जिला परीक्षा सन्तदक (DSS/DMS)  
हस्ताक्षर

जिला शिक्षा अधिकारी  
हस्ताक्षर मोहर सहित

हमारे द्वारा आपको उपलब्ध कराई गई जानकारी, बच्चों द्वारा Online Application form में भरी गई जानकारी पर आधारित है। अतः आप इसके सत्यापन की जांच अवश्य करवा लें। यदि किसी छात्र की पात्रता में कोई कमी पाई जाती है तो उसका नाम सूचि में से रद्द करके हटा दिया जाएगा।

संलग्न- अस्थाई परिणाम की सूचि,

नोट-

- सूचि का प्रत्येक छात्र सुनिश्चित करें कि वह नौवीं कक्षा में दाखिला लेकर अपनी हवीं कक्षा का Result तथा स्कूल का नाम अपने स्कूल मुखिया के माध्यम से अपने जिले के D.E.O. को सूचित कर देगा।
- परीक्षार्थियों का नाम व पिता का नाम परीक्षार्थी के आधार कार्ड में, हमारी लिस्ट में तथा उनके बैंक खाते में बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। नहीं तो NSP पोर्टल पर परीक्षार्थी पंजीकृत नहीं हो पाएगा तथा वह अपनी छात्रवृत्ति की राशि पाने से वंचित रह जाएगा।
- NSP पोर्टल पर पात्रता पूरी करने वाले सभी परीक्षार्थियों को अपना ब्योरा upload करना अति आवश्यक होगा। यदि कोई परीक्षार्थी अपना ब्योरा upload करने से चूक जाता है तो वह Offline छात्रवृत्ति की राशि प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसके लिए वह स्वयं तथा विद्यालय का मुखिया जिम्मेदार होगा।

( कृषि मन्थल )  
निदेशक

एस.सी.ई.आर.टी. हरियाणा  
गुरुग्राम